सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 57/2017

श्री गंगाजी मंदिर विराजमान ग्राम महुवा तहसील महुवा जिला दौसा जरिए राजेन्द्र दत्तक पुत्र स्व0 मुशरफी देवी बेवा रामचरण जाति ब्राह्मण पुजारी मंदिर श्री श्री गंगाजी मंदिर विराजमान ग्राम महुवा तहसील महुवा जिला दौसा ...प्रार्थी

बनाम

1 परसराम पुत्र विश्राम जाति मीना निवासी हुडला तहसील महवा जिला दौसा
2 बद्रीप्रसाद (फौत)
2/1 आकाश खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/2 जयप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/3 सचिन खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
2/4 विपिन खण्डेलवाल पुत्र सूर्यप्रकाश खण्डेलवाल
3 जगदीश (फौत)
3/1 दिनेश खण्डेलवाल पुत्र जगदीश खण्डेलवाल
3/2 गोरव खण्डेलवाल पुत्र जगदीश खण्डेलवाल
3/3 सौरभ खण्डेलवाल पुत्र जगदीश खण्डेलवाल
4 कल्याणप्रसाद पुत्र नारायणलाल जाति महाजन निवासी महवा
5 तहसीलदार महुवा लैण्ड होल्डर महवा तहसील महुवा जिला दौसा
6 उपपंजियक महवा तहसील महुवा जिला दौसा
7 एस0 डी0 ओ0 श्री अजय कुमार आर्य महुवा जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री आर0 सी0 शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

दि0 06.03.2018

निर्णय

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उप जिला कलक्टर महुवा के के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य मु0नं0 63/15 विचाराधीन है । प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि अप्रार्थी संख्या 01 परसराम ने गंगाजी मंदिर का पुजारी बनकर एक दावा मुकदमा संख्या 63/15 बद्री प्रसाद, जगदीश, कल्याण वगै0 के खिलाफ प्रस्तुत किया कि साबिका खसरा नम्बर 111 नवीन खसरा नंबर 428/118 रकबा 0.62, 429 रकबा 0.04, कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है0 भूमि श्री गंगाजी मंदिर ग्राम महुवा तहसील महुवा की माफी की भूमि रही है उक्त भूमि में गंगाजी का

मंदिर बना हुआ है उक्त मंदिर पर पुजारी ही भोग की रस्म अदा करता था जिसका चढावा आता था व आसपास क वाशिंदे मृतक व्यक्तियों की अस्थीयो को लाकर रखते थे तथा परिक्रमा आदि की रस्म अदा करते थे। बद्रीप्रसाद, जगदीश, कल्याण के पूर्वजों ने गलत तौर पर मंदिर माफी की जमीन को अपने नाम खातेदारी मे लगवा ली जबकि वास्तव में उक्त भूमि के खातेदार श्री गंगाजी माता मंदिर महुवा की माफी की भूमि है जिसके बाबत राजेन्द्र प्रसाद इस्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त दावा प्रस्तुत होने के बाद जवाब दावा बद्रीप्रसाद, जगदीश प्रसाद, कल्याण की तरफ से प्रस्तुत किया व उसके पश्चात कुल 7 तनकी बनाई गई। 7 तनकी में नंबर 4 व 5 पर कानूनी होने के कारण पहले निर्णय किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार दावा बाबत खसरा नंबर 428/118 व 429 के संबंध में तहसील महुवा के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण दावा दिनांक 26.11.2015 को खारिज किया गया। परसराम व अप्रार्थी संख्या 3 आपस मे मिले हुए थे व जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उक्त मंदिर का वास्तविक पुजारी पूर्व में अशरफी देवी थी अप्रार्थीगण के पूर्वजों ने उक्त मंदिर की संपत्ति को हडपने के लिए उक्त निर्णय व डिक्री की कोई अपील प्रस्तुत नही की। राजेन्द्र प्रसाद को उक्त निर्णय की जानकारी होते ही राजेन्द्र प्रसाद ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के यहां अपील संख्या 154/2015 प्रस्तुत की । उक्त अपील का निर्णय दिनांक 29.04.2016 को किया गया व उक्त निर्णय में निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2015 को निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 29.4.2016 को किया गया व उक्त निर्णय में निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2015 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय में राजेन्द्र प्रसाद को भी वादी बनाया गया व वादी की हैसियत से राजेन्द्र प्रसाद उक्त निर्णय व डिक्री की अपील अप्रार्थीगण व उसके वारिसान रेवेन्यू बोर्ड में प्रस्तुत की जिसकी अपील संख्या 4051/2016 है। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 27.12.2016 को हुआ व उक्त निर्णय के पश्चात उक्त पत्रावली को वापिस अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करने का आदेश प्रदान किया । उक्त आदेश के तहत मुकदमा नंबर 63/15 चल रहा है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.8.2017 स्थित है। उक्त प्रकरण में 15.06.2017 को आरएए दौसा व राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय के बाद दिनांक 15.06.20117 को दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारान को तलबी कोर्ट के माध्यम से की जावे यह आदेश दिये गये व आगामी तारीख पेशी 3.7.2017 दी गई। 3.7.2017 के लिए भी कोई नोटिस अदालत से जारी नही है। राजेन्द्र स्वयं उपस्थित हो गया कल्याणसहाय की ओर से धर्मसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। आगामी तारीख 12.07.2017 दी गई। दिनांक 12.7.2017 के बाद फिर 18.07.2017 तारीख पेशी दी गई व 18.07.2017 को बहस के लिए समय चाहा फिर 19.7.2018 तारीख पेशी दी, 19.7.2017 को यह बताया गया कि साक्ष्य का अवसर दिया गया है व आगामी तीख पेशी 26.07.2017 निश्चित की गई व 26.07.2017 से 10.8.2017 निश्चित की गई। इस तरह 15.06.2017 से लेकर 26.07.2017 तक 6 पेशीयां न्यायालय द्वारा दी गई। जिसमें एक भी आदेशिका पर यह स्पष्ट नही है कि आगामी तारीख पेश किस लिए दी गई है अभी दावा गंगाजी मंदिर विराजमान महुवा जरिए परसराम के द्वारा वादी बनाकर चल रहा है जबकि राजस्व अपील अधिकारी ने व रेवेन्यू बोर्ड ने राजेन्द्र कुमार को दावे में पक्षकार बनाया है लेकिन अभी तक भी उक्त प्रकरण में राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को पक्षकार बनाकर टाईटल कॉज प्रस्तुत नही किया गया है। उसके पश्चात दौराने अपील बद्रीप्रसाद, जगदीश प्रसाद की मृत्यु हो गई जिनके कायम मुकामान रेवेन्यू आरएए कोर्ट में व रेवेन्यू बोर्ड में पक्षकार बना दिये गये थे लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उन पक्षकारों को बद्रीप्रसाद व जगदीश प्रसाद के कायम मुकामान नही बनाये है व दावा अभी भी बद्रीप्रसाद व जगदीश प्रसाद के विरूद्ध ही चल रहा है जबकि 8 पेशीया पड चुकी न तो न्यायालय ने संशोधित टाईटल कॉज का आदेश दिया न ही बद्रीप्रसाद, जगदीश प्रसाद के कायम मुकमा को रिकार्ड पर लेने का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण को जल्दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से जल्दी दावा खारिज करना चाहता है। इसलिए एक महिने में 8 तारीख पेशीया दे दी गई। 3–3, 4–4 दिन की पेशीयां दी गई व एक भी पेशी के उपर कोई असरदार कार्यवाही नही की गई है। उपजिला कलेक्टर, महवा ने अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने की चेतावनी प्रार्थीगण को दी गई। जिसके कारण प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण किसी अन्यत्र क्षेत्राधिकार के अधिकारी को स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि उपजिला कलेक्टर, महवा के यहां प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वाद विचाराधीन है। जिसमें उपजिला कलेक्टर, महवा के द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर, महवा द्वारा नियमानुसार साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर ही विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपजिला कलेक्टर, महवा की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2017 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि विवाद उपजिला कलेक्टर, महवा में विचाराधीन है। जिसमें पत्रावली साक्ष्य वादी स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कई बिन्दु उठाये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। जिससे उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपजिला कलेक्टर, महवा द्वारा प्रकरण में नियमोचित कार्यवाही की जा रही है। उपजिला कलेक्टर, महवा पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही है। प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर उपजिला कलेक्टर, महवा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06 मार्च, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official